# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

**अपील नामा0संख्या 12/16** **सन् 2016**

**आरसीएमएस संख्या 2017/00008**

बउनवानीः—

1. हरी दत्तक पुत्र तुलस्या जाति गुर्जर निवासी दूमोदा तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कंचन पुत्री तुलस्या पत्नि गंगासहाय गुर्जर निवासी दूमोदा हाल निवासी चूली तह0 गंगापुर
2. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 91 निर्णय दिनांक 10.12.2004 वाके ग्राम दूमोदा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 )

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट

2. श्री बच्चू सिंह जाट वकील रेस्पो.

**—: निर्णय :—** **दिनांक 03.07.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल, नामा0 संख्या 91 निर्णय दिनांक 10.12.2004 वाके ग्राम दूमोदा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के पिता तुलस्या पुत्र ऊंकार का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त गोद पत्र के आधार पर उपरोक्त अपीलाधीन नामा0 विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि तुलस्या पुत्र ऊंकार की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हाल ख0न0 113,116,118,119,199,200,202,305,344,345,351,418,419,421 लगायत 423 कुल किता 16 कुल रकबा 5.51 है0 वाके ग्राम दुमोदा में स्थित है तथा तुलस्या की मृत्यु के उपरान्त उसकी उक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि का नामा0 गोद पत्र के आधार पर दिनांक 10.12.2004 को तहसीलदार महोदय ने नामा0 नियमों के विपरीत जाकर तुलस्या की आराजीयात का अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या एक तथा तुलस्या की पत्नि कानी के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया है एवं नामा0 नियम 119 लगायत 125 के तहत मौका कब्जे की जॉच किया जाना आवश्यक होने के कारण भी आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि नामा0 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि कॉलम संख्या 14 के अनुसार गोद पत्र दिनांक 18.3.1997 के आधार पर भरा गया है तथा 9.12.2004 को हल्का गिरदावर ने नामा. की जॉच की है वो मुताबिक वसीयत की है तथा वसीयत के मुताबिक तुलस्या की आराजीयात का एक मात्र वारिस अपीलाट होना चाहिए था किन्तु नामा0 में अंकित तथ्य आपस में विरोधाभाषी है। इस बात पर गौर किए बिना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया है जो खिलाफ कानन होने निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि नामा0 मे वर्णित आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि है तथा रेस्पो. का उक्त आराजी से कोई संबधं व वास्ता नही है केवल अपीलान्ट ही उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त रहकर लाभांवित होता चला आ रहा है। यह तर्क भी दिया आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.2.2016 को रेस्पो. संख्या 1 गांव मे आकर उक्त आराजीयात को बेचने की बात कहने पर प्राप्त होने पर पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 91 दिनांक 10.12.2004 गोदपत्र दिनांक 18.3.1997 के आधार पर खोला गया है। यह तर्क भी दिया कि मृतक तुलस्या के विधिक वारिसान में दत्तक पुत्र हरी के अतिरिक्त तुलस्या की पत्नि कानी व पुत्री कंचन रेस्पो. संख्या एक भी विधिक वारिसान होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामा0 तीनो के नाम दर्ज फैसल कर तस्दीक किया गया है। केवल मात्र दत्तक पुत्र होने मात्र से अपीलान्ट मृतक तुलस्या की पुत्री व पत्नि को तुलस्या की जायदाद से वंचित नही कर सकता है। चूंकि कानून मृतक तुलस्या की विरासत में अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 व उसकी मां कानी का समान हिस्सा बनता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा विवादित नामा संख्या 91 तीनो के नाम तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 91 दिनांक 10.12.2004 वाके ग्राम दुमोदा को गोद पत्र दिनांक 18.3.1997 के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है। गोद पत्र के अनुसार अपीलान्ट हरि जो कि तुलस्या का दत्तक पुत्र है को मृतक तुलस्या की सम्पूर्ण आराजीयात प्राप्त करने का कानून कोई अधिकार नही है। अतः उक्त आराजीयात में अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 तथा मृतक तुलस्या की पत्नि कानी का बराबर हिस्सा बनता है जिसके अनुसार ही उक्त आराजीयात में तीनो का बराबर हिस्सा दर्ज किया गया है। जहॉ तक नामा0 में गोदपत्र व वसीयत शब्द का जिक्र हुआ है तो वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में वसीयत से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही करने के कारण भी अपीलान्ट को मृतक तुलस्या की सम्पूर्ण आराजीयात प्राप्त करने का अधिकार नही है। अतः गोद पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये उक्त नामा0 संख्या 91 दिनांक 10.12.2004 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर अपील में किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: